न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी निग – 121 – II – 16

जानकी पुत्र गनेश कोरी निवासी नंदना तहसील इन्दरगढ जिला दतिया म.प्र.

...... आवेदक

बनाम

1. नाथूराम पिता जवाहर कुशवाह निवासी नदना तहसील सेवढा जिला दतिया म.प्र.
2. वनमाली पिता मुल्ला बरार निवासी रमदेवा तहसील सेवढा जिला दतिया
3. धनीराम पिता सुम्मेर निवासी भडोल तहसील सेवढा जिला दतिया
4. म.प्र. शासन

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग सेवढा द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/ अपील/ 06–07/ में पारित आदेश दिनांक 20.05.2011 की जानकारी न्यायालय तहसीलदार तहसील इन्दरगढ द्वारा प्रकरण क्रमांक 431/ बी–121 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 02.11.2015, के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत है।

श्रीमानजी,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:–

1. यहकि, ग्राम नदना तहसील सेवढा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 20 कुल रकवा 4.484 हेक्टर में से सर्वे क्रमांक 20/2 रकवा 0.45 हेक्टर का पट्टा आवेदक को तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 121/II/2016 निगरानी जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-10-2016	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। अनावेदक कमांक-1 की ओर से अभिभाषक श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। अनावेदक कमांक-2 की ओर से शासकीय पैनल अभिभाषक उपस्थित। आवेदक के अभिभाषक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग सेवढा, के प्रकरण कमांक 15/अपील/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 20-5-2011से परिवेदित होकर, म0प्र0भू-राजस्व संहिता -1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 2/अ-19/99-2000 में पारित आदेश दिनांक 17-3-2000 के द्वारा ग्राम नदना, तहसील सेवढा स्थित भूमि सर्वे कमांक 20 कुल रकवा 4.484 हैक्टर में से सर्वे कमांक 20/2 रकवा 0.45 हैक्टर का पट्टा विधिवत रूप से आवेदक को प्रदान किया गया। उक्त सर्वे कमांक 20 कुल रकवा 4.484 हैक्टर में से तहसीलदार ने अन्य प्रकरण कमांक 5/अ-19/2000-01 दर्ज कर आदेश दिनांक 18-4-2002 के द्वारा (1) वनमाली पुत्र मुल्ला बरार रकवा 1.00 हेक्टर (2) धनीराम पुत्र सुम्मेर रकवा 0.88 हैक्टर के पक्ष में पट्टा प्रदान किया गया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 18-4-2002 के विरूद्ध अनावेदक कमांक-1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सेवढा के समक्ष आवेदक को पक्षकार बनाये बिना (1) वनमाली (2) धनीराम को पक्षकार बनाया जाकर, अपील प्रकरण कमांक 15/अपील/2006-07 प्रस्तुत की गई। जिसमें आवेदक सहित सभी पट्टो को निरस्त करने का आदेश दिनांक 20-5-2011 को पारित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से दुखित होकर, आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।	

3— आवेदकगण के विद्धान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि,अनावेदक कमांक—1 द्वारा प्रकरण कमांक 5/अ—19/2000—01 में पारित आदेश दिनांक 18—4—2002 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जबकि आवेदक को प्रकरण कमांक 2/अ—19/99—2000 में पारित आदेश दिनांक 17—3—2000 द्वारा पट्टा प्रदान किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत अपील में आवेदक पक्षकार नहीं था। आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बगैर प्रकरण तहसील न्यायालय में प्रत्यावर्तित किया गया। किन्तु आज दिनांक तक तहसीलदार महोदय द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई आवेदक को सूचना दिये बगैर आवेदक का खसरे में से नाम विलोपित किया गया। जिससे अनावेदक कमांक—1 द्वारा आवेदक के पट्टे की भूमि पर निर्माण कार्य किया जाने लगा इस कारण अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा अवैधानिक रूप से पारित एकपक्षीय आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

यह तर्क भी दिया गया कि,आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 20—5—2011 की जानकारी उस समय हुई जब आवेदक द्वारा सीमांकन कराने हेतु खसरे की नकल प्राप्त की तब ज्ञात हुआ कि उसका नाम खसरे से विलोपित किया जा चुका है जिसके सुधार हेतु तहसीलदार महोदय के समक्ष धारा—115, 116 म.प्र.भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे प्रकरण कमांक 431/बी—121/2013—14 पर दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 2—11—2015 पारित किया। तव आवेदक को सम्पूर्ण रूप से ज्ञात हुआ कि अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से उसका पट्टा निरस्त किया गया है।

यह भी तर्क है कि,अनावेदक कमांक—1 कुशवाह जाति का है उसे पट्टा प्राप्त करने की अधिकारिता नहीं है और नाही उसे पूर्व में पट्टा दिया गया है। वह अतिकामक था उक्त पट्टे शासन की नीति अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रदान किये गये थें अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा इन महत्तपूर्ण तथ्यों पर विचार किये बिना आवेदक को सुने बिना आवेदक की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से सुनवाई कर

अवैधानिक आदेश पारित किया गया है। अंत में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टान्त 186 आर.एन. 121 (उच्च न्यायालय) 1990 आर.एन. 150 (उच्च न्यायालय) 1990 आर. एन. 162 का हवाला देते हुए उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर तहसीलदार के आदेश दिनांक़ 17–3–2000 को यथावत रखा जाकर, निगरानी समय सीमा में स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4– अनावेदक क्रमांक–1 की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि, अनावेदक का विवादित आराजी पर पूर्वजो के समय से निरंतर आधिपत्य है तथा वर्तमान में भी अनावेदक की फसल खडी है। अनावेदक सालो से बतौर अर्थदण्ड राशि जमा करता चला आ रहा है। अनावेदक हितवद्ध पक्षकार है तहसीलदार महोदय द्वारा पट्टा वितरित करने के पूर्व व्यवस्थापन नियमो का पालन नहीं किया गया, विधि प्रकिया नहीं अपनाई गई। अनावेदक पट्टे की पात्रता रखता है। इस कारण उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5– अनावेदक क्रमांक–2 की ओर से विद्वान शासकीय अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को विधिसम्मत बताते हुये आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया गया।

6– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजो एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 2/अ–19/99–2000 में पारित आदेश दिनांक 17–3–2000 के द्वारा ग्राम नदना, तहसील सेवढा स्थित भूमि सर्वे कमांक 20 कुल रकवा 4.484 हैक्टर में से सर्वे कमांक 20/2 रकवा 0.45 हैक्टर का पट्टा आवेदक को प्रदान किया गया। उन्ही सर्वे कमांक 20 कुल रकवा 4.484 हैक्टर में से तहसीलदार ने दूसरे प्रकरण कमांक 5/अ–19/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 18–4–2002 से वनमाली को रकवा 1.00 हेक्टर एवं धनीराम को रकवा 0.88 हैक्टर

का पट्टा प्रदान किया गया था। अनावेदक क्रमांक–1 द्वारा आदेश दिनांक 18–4–2002 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सेवढा के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 20–5–2011 के द्वारा उक्त अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार को प्रत्यावर्तित की गई। तहसीलदार द्वारा सन् 2011 से आज दिनांक तक कोई भी कार्यवाही न की जाकर, अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किये बगैर आवेदक का विधि विरूद्ध तरीके से खसरे से नाम विलोपित किया गया है।

6– अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदक के पट्टा प्रकरण क्रमांक 2/अ–19/99–2000 में पारित आदेश दिनांक 17–3–2000 के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक–1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी से कोई भी सहायता नहीं चाही गई थी। आवेदक अनुविभगीय अधिकारी के समक्ष पक्षकार भी नहीं था। इन सभी तथ्यों पर विचार किये बिना, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को अपना पक्ष समर्थन का अवसर दिये बगैर एकपक्षीय रूप से अवैधानिक आदेश पारित किया गया है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश न्यायिक, विधिसम्मत एवं औचित्यपूर्ण न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी समयसीमा में स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी सेवढा के प्रकरण क्रमांक 15/अपील/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 20–5–2011 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 2/अ–19/99–2000 में पारित आदेश दिनांक 17–3–2000 यथावत रखा जाकर, तहसीलदार को निर्देश दिये जाते है कि वह आवेदक का पूर्व की भॉति खसरे में नाम अंकित करें।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर